राजस्व अपील संख्या 30/2025 (2025/30)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 30/2025
जी.सी.एम.एस संख्या– 2025/30

अपीलार्थी :–

पोकरराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिाल जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. जीयाराम पुत्र मानाराम के कायम मुकाम–
   1/1. भंवरी पत्नी श्री जीयाराम
   1/2. जसपाल पुत्र श्री जीयाराम
   1/3. अर्जुन पुत्र श्री जीयाराम
   1/4. सुमेरराम पुत्र जीयाराम
   1/5. खमला पुत्री श्री जीयाराम
   1/6. बेबी पुत्री श्री जीयाराम
   जातियान जाट निवासी नंदवाण, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. शंकरराम पुत्र मानाराम
3. मोहनराम पुत्र मानाराम
4. वरजु पुत्री मानाराम
   जातियान जाट निवासीगण–ग्राम सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर
5. झमु पुत्री मानाराम के कायम मुकाम–
   5/1. चंदु पत्नी श्री मदनाराम पुत्री झमू जाति जाट निवासी लालकी, तहसील रोहट, जिला पाली।
   5/2. पिस्ता पत्नी श्री मदनाराम पुत्री झमू जाति जाट निवासी लालकी, तहसील रोहट, जिला पाली।
   5/3. धन्नाराम पुत्र श्री हरिराम व श्रीमती झमू जाति जाट निवासी खाराबेरा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
   5/4. मूली पत्नी श्री मुकेश पुत्री झमू, जाति जाट निवासी सालावास, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5/5. दलाराम पुत्र श्री हरिराम व श्रीमती झमू, जाति जाट निवासी खाराबेरा, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

6. तहसीलदार, लुणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामांतरकरण सं. 3639, जो तहसीलदार, लुणी द्वारा दिनाक 31.05.2016 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः—

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल, श्री दिवाकर शर्मा, श्री भागीरथ बिश्नोई, श्री रूपेश कुमार (अपीलार्थी की ओर से)
2. रेस्पोडेन्टस नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 25.06.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, लुणी द्वारा ग्राम सालावास के नामांतरकरण सं. 3639 पर पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 20.02.2019 को प्रस्तुत की गई।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 01 व 05 फौत होने के कारण अपीलांट द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया गया है तथा मृतकों के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा सभी प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामिल होने के बावजूद भी किसी ने भी उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश नहीं किया। अतः सभी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

3. अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील को अंदर म्याद प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित होने से गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

अपर जिला कलक्टर (मुख्यालय)
जोधपुर

4. बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों एवं आधारों पर अपील को तहसीलदार, लूणी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया तथा तहसीलदार प्रकरण में विधि अनुसार जांच कर अपीलांट के नाम नामांतरकरण दर्ज करे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय मेरिट पर पारित किया जा रहा है।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता से मनन किया।

a) प्रकरण के तथ्यों अनुसार ग्राम सालावास के ख.नं. 724 रकबा 12–12 बीघा भूमि अपीलांट पोकरराम पुत्र मानाराम व हेमी पत्नी मानाराम के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज थी। नामांतरकरण सं. 3639 सहखातेदार हेमी का दिनांक 06.04.2005 को निधन होने पर पटवारी द्वारा दर्ज करने पर तहसीलदार लूणी द्वारा स्वर्गीय हेमी के सभी उत्तराधिकारी पुत्र जीयाराम, शंकरराम, मोहनराम, पोकरराम तथा पुत्री वरजू व झमू के नाम दर्ज करने पर तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 31.05.2016 को स्वीकार किया गया जो हेमी के देहांत से लगभग 11 वर्ष बाद दर्ज किया गया है।

b) अपीलांट का कथन है कि आराजी में हेमी का 1/5 हिस्सा था तथा हेमी ने दिनांक 19.03.2007 को अपने हिस्से की भूमि बाबत वसीयतनामा अपीलांट के हक में निष्पादित कर दिया था, परंतु राजस्व अधिकारियों से प्रत्यर्थीगण ने मिलावट करके, हेमी के हिस्से की भूमि में अपने नाम नामांतरकरण स्वीकार करवा लिया, जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपील के साथ नोटरी से दिनांक 19.03.2007 को तस्दीक सुदा 10 रूपये के स्टांप पर टाईपसुदा वसीयतनामा की फोटोप्रति पेश की है, जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि हेमी पत्नी मानाराम जी ने दिनांक 19.03.2007 को अपीलांट पोकरराम के पक्ष में ग्राम सालावास के ख.नं. 724 रकबा 12–12 बीघा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि के अधिकारों/हकों की वसीयत निष्पादित की है परंतु वसीयत के निष्पादन की दिनांक रिक्त है अर्थात कोई तिथि का अंकन नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) वसीयतनामा में एक साख अणदाराम की तथा दूसरी साख भींयाराम की है, परंतु दोनों साक्षियों की न तो वल्दियत अंकित है तथा न ही पते दर्ज है तथा गवाह ने यह पृष्ठांकन नहीं किया है कि निष्पादनकर्ता हेमी ने अंगूठा अमुख स्थान पर उनके सामने किया है तथा साक्षीगण ने अमुख स्थान पर अपने–अपने हस्ताक्षर हेमी के सामने किये है तथा दोनों साक्षियों के वसीयत के प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर भी नहीं हे।

इस प्रकार वसीयतनामा का यह दस्तावेज भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 में वर्णित प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

d) इसके अधिकारी अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 3639 के कॉलम 14 में पटवारी ने नामांतरकरण खोलने का कारण इस प्रकार अंकित किया है–

"खातेदार हेमी W/O मानाराम दिनांक 06.04.2005 को फौत हो जाने से नामां. की पुस्त पर अंकित तस्दीकसुदा वंशावली के आधार पर नामा. दायर कर पेश है।"

प.(भू.अ.)
पटवार म. सालावास, तहसील लूणी

e) पटवारी की उक्त रिपोर्ट अनुसार हेमी दिनांक 06.04.2005 को फौत हो चुकी थी, तो दिनांक 19.03.2007 को पुनः जीवित होकर वसीयत को निष्पादित कैसे कर सकती है? तथा नोटरी ने दिनांक 19.03.2007 को हेमी की उपस्थिति दर्ज कैसे की है? अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने हेतु सक्षम अधिकारियों के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश करना नहीं पाया जाता है। वसीयतनामा प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया जाता है, जिसकी वैद्यता का परीक्षण केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके जरिये व्यक्ति के हक, अधिकार, स्वत्वों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने हेमी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया है जिससे पटवारी द्वारा अंकित मृत्यु दिनांक 06.04.2005 का खण्डन किया जा सके। दिनांक 06.04.2005 को हेमी की मृत्यु होने पर भी नामांतरकरण 11 वर्ष बाद दिनांक 31.05.2016 को हेमी के कानूनी वारिसान के नाम स्वीकार किया गया है जो हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची प्रथम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के वारिसान होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के अनुसार हेमी की आराजी पर जरिये उत्तराधिकार हक दर्ज कराने के कानूनी रूप से अधिकारी है।

f) वसीयत की वैद्यता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को ही है। यह न्यायालय अपंजीकृत विवादास्पद वसीयत की वैद्यता का परीक्षण करने में सक्षम नहीं है।

उक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

6. उपरोक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामांतरकरण ग्राम सालावास सं. 3639 पर तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार लुणी को तुरंत लौटाया जावे।

8. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर